

प्रेषक,

जोहरा चटर्जी,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।

आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनु०-२

लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2006

विषय: कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विक्रय प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या-1518/78आई.टी.-2-2002, दिनांक 16 अगस्त, 2002 द्वारा विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निक्षेपों, परिषद तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय करने/विक्रयित कराने हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16 अगस्त 2002 में यू०पी०डेस्क्री तथा यू०पी०एल०सी० को एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय करने/विक्रयित कराने हेतु अधिकृत किया गया था।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1518/78आई.टी.-2-2002, दिनांक 16 अगस्त, 2002 के प्रस्तर-4 के उप-प्रस्तर 'ख' में आशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, निगम, निक्षेप, परिषद तथा स्वायत्तशासी निक्षेप एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय करने/विक्रयित कराने हेतु अपट्रान पावरट्रानिक्स लि० तथा श्रीट्रान इण्डिया लि० गजियाबाद को भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधिकृत किया जाता है:-

1. एप्लीकेशन साफ्टवेयर विकास/आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रश्नगत कम्पनियों तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से सक्षम हों तथा आपूर्ति किए जाने वाले साफ्टवेयर का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कम्पनियों का होगा।
2. एप्लीकेशन साफ्टवेयर विकास/आपूर्ति का सम्बन्धित कम्पनियों के आर्थिक ऑफ एसोसिएशन में इन करों का समावेश हो।

3. शासनादेश संख्या-1518/78आई.टी.-2-2002, दिनांक 16 अगस्त, 2002 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीया,

(Chatterjee)
(जोहरा चटर्जी)
प्रमुख सचिव

संख्या-137(1)/78-2-2006-11 आई०टी०/2001, तदुद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव।
2. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग।

क्रमशः...2...